प्रकरण संख्या 8/2021 तलोक मृतक नारू व अन्य बनाम नानालाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान के संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 148, 149, 150, 160, 208, 209, 210, 151, 161, 163, 217, 768, 769, 216 कुल किता 14 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम मदारा, तहसील रेलमगरा में स्थित है, जो प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान को पूर्वजों से उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है, जिससे प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान की वंशावली प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है। विपक्षी संख्या 1 व 2 का उक्त आराजियात में कोई हक व अधिकार नहीं है। भोपसिंह वक्त सेटलमेन्ट ठिकाना मदारा के मुंशरिम अर्थात लिखा–पढ़ी का कार्य करते थे, जिससे अधिकारियों से मिलीभगत कर आराजी नंबर 209 व 210 अपनी पत्नी धापु कुंवर के नाम अंकित करवा ली, जबकि धापू कुंवर के नाम किसी प्रकार से भूमियां अंतरित नहीं हुई हैं। उक्त अंकन प्रार्थीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि आराजी नंबर 209 व 210 में प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। विपक्षीगण ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने मिथ्या आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आराजी नंबर 209 व 210 विपक्षीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। आराजी नंबर 209 व 210 के खातेदार केशु, उमेदा, चतरभुज, उदा पिता प्रताप कुमावत के स्वामित्व व आधिपत्य की थी, जो उनके द्वारा दिनांक 16.01.1971 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र धापू कुंवर को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया, तब से कब्जा विपक्षीगण का चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षी बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 17.02.2021 से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:44 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि आराजी नंबर 209 व 210 विपक्षीगण के नाम गलत रूप से दर्ज चली आ रही है, जो सेटलमेन्ट के दौरान मिलीभगत से दर्ज हुई है तथा उनके पक्ष में किया गया विकय पत्र नुमाईशी है, जो प्रार्थीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा मूलवाद के निस्तारण तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत 2039 से 2042 अनुसार विवादित आराजी नंबर 209 व 210 श्रीमती धापू कुंवर पत्नी भोपसिंह के नाम दर्ज है, जो उसके द्वारा रामगोपाल पिता रामचन्द्र महाजन को विकय किया गया है। तत्पश्चात् रामगोपाल द्वारा विपक्षीगण को विकय किये जाने से विपक्षीगण के नाम विवादित आराजियात अंकित हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट/प्रार्थीगण का यह कथन कि धापू के नाम इन्द्राज गलत ढंग से हुआ है, साबित नहीं होता है। रेस्पोन्डेन्टगण विवादित आराजी नंबर 209 व 210 के रेकार्डेड खातेदार होने से अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं मानते हुए उनका अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 8/2021 में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat (प्रदीप सिंह सांगावत)
Date: 2024.10.30 12:28:44 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर